वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग—4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ पर्यटन मंडल, रायपुर का सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत मॉ कुदरगढ़ी देवी धाम में रोपवे निर्माण कार्य हेतु संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी—1531 का 0.621 हे. एवं राजस्व वन भूमि खसरा नं. 275 का 0.176 हे. कुल आवेदित रकबा 0.797 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए रोपवे निर्माण हेतु 0.797 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 31 /07/2020
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–703/1471 रायपुर, दिनांक 31/07/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर

विषय: – **Diversion of forest land for non-forestry purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for the purpose of Kudargarh Ropweay, Area 0.797 ha.**
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/Others/ 25041/2017

संदर्भ: – **मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त अंबिकापुर का पत्र क्रमांक/ मा. चि./727 दिनांक 11.06.2020 एवं पत्र क्रमांक/ मा. चि./1032 दिनांक 22.07.2020**

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रो द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा अनुशंसा उपरांत कूदरगढ़ रोप–वे निर्माण के लिये गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1 से 6) – आवेदनकर्ता, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ पर्यटन मंडल, रायपुर का सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत मॉ कुदरगढ़ी देवी धाम में रोपवे निर्माण कार्य हेतु संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी–1531 की 0.621 हे. एवं राजस्व वन भूमि खसरा नं. 275 की 0.176 हे. कुल आवेदित रकबा 0.797 हे. वन भूमि के गैर वानिकी का र्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 7 से 8) – वन मंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/CG/Others/ 25041/2017** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है। इसकी पुष्टि भू–प्रबंध प्रभाग के पत्र दिनांक 05.10.2017 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 24,000/– जमा कराये गये है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 9) – प्रस्तवित रोपवे निर्माण कार्य हेतु संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी–1531 की 0.621 हे. एवं राजस्व वन भूमि खसरा नं. 275 की 0.176 हे. कुल आवेदित रकबा 0.797 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 10) – प्रस्ताव में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 11 से 12) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का वन मंडलाधिकारी सूरजपुर से हस्ताक्षरित सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 13 से 15) – एफ.एम.आई.एस द्वारा जारी किया गया एवं वन मंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा हस्ताक्षरित वन संनिधि मानचित्र संलग्न है।

Scanned with CamScanner

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 16 से 23) – प्रपत्र – 4 में यूजर एजेंसी द्वारा जानकारी दी गई है। परियोजना की प्रशासकीय लागत 10.88 करोड़ रू. है। वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल ने यह प्रमाणित किया है कि उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी विकल्प का परीक्षण कर लिया गया है तथा इस प्रस्ताव में न्यूनतम वन भूमि शामिल है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 24 से 25) – सूरजपुर जिले अंतर्गत कूरदगढ़ में स्थित माँ कुदरगढ़ी देवी एक प्राचीनतम तथा क्षेत्र की आस्था का केन्द्र रहा है। जहाँ वर्षभर धार्मिक अनुष्ठानों, देवी दर्शन तथा प्राकृतिक छटा को देखने के लिए प्रतिदिन सैंकडों की संख्या में श्रद्धालु आते है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माँ कुदरगढ़ी देवी दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालू आते हैं। वर्तमान में खड़ी पहाड़ी चढ़ाई लगभग 2 कि.मी. का रास्ता तय कर श्रद्धालु जाते हैं, जिसमें छोटे बच्चे एवं बुजुर्गो की संख या भी रहती है। पैदल आने आने से पर्यावरण एवं पेड़ पौधों को नुकसान होता है। रोवपे निर्माण से एक ओर पर्यावरण को क्षति कम होगी वहीं दूसरी ओर श्रद्धालूओं का आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा 25–30 स्थानीय युवकों को आजीवन रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 26 से 28) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश दिनांक 28.03.2019 के कंडिका 2.6 अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण के बदले वृक्षरोपण एवं रखरखाव हेतु विभाग द्वारा निधार्रित राशि जमा किये जाने हेतु आवेदक संस्थान वचन बद्ध है का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 29) – यूजर एजेंसी का न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र संलग्न है जो वन मंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 30 से 39) – यूजर एजेंसी का कथन है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के बिन्दु 7 एफ में उल्लेखित विवरण के अनुसार पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 40 से 53) – प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्ष की कटाई नहीं की जावेगी। अतः वृक्ष विदोहन योजना आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 54 से 60) – प्रस्तावित क्षेत्र 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 61) – प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रही है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 62 से 67) – प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रही है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 68 से 70) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश दिनांक 28.03.2019 के कंडिका 2.6 अनुसार 1.00 हे. से कम व्यपवर्तन प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 71) – प्रस्ताव 1.00 हे. से कम होने के कारण लागू नहीं होगा।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 72) – यूजर एजेंसी तथा वन मंडलाधिकारी सूरजपुर के संयुक्त प्रमाण पत्र के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

Scanned with CamScanner

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 73) – वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः कोई अधिकारी / कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 74) – किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 75 प्रमाण पत्र संलग्न है) – मुख्य सचिव से गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 76 एवं 77) – प्रस्ताव में लागू नहीं होगा।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 78) – प्रस्ताव में लागू नहीं होगा।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 79) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 80) – रोवपे निर्माण कार्य के लिए किसी भी ग्रामीण का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 81 से 90) – भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 02.06.2020 के आधार पर लोक हित में प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार साईट क्वालिटी IVa तथा वनो का घनत्व 0.5 तक है। भाग–3 पर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त द्वारा वन मंडलाधिकारी सूरजपुर के सुझाव से सहमत होते हुए जनहित में अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 91 से 91 ए) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में या उसके आसपास ऐतिहासिक स्थल या मूर्ति नहीं है, इससे संबंधित यूजर एजेंसी तथा वन मंडलाधिकारी सूरजपुर का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 92 से 93) – प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत कूदरगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 94) – जिले की कुल वन भूमि का रकबा 165572.246 हे. का विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 95 से 98) – व.स.अ. 1980 अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में सूरजपुर वन मंडल में प्रभावित हुई वन भूमि 2585.464 हे. है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 99) – सूरजपुर वन मंडल में स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कोई भी प्रकरण स्वीकृत नहीं है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 100 से 104) – आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कोरीडोर तथा ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति नहीं है। यूजर एजेंसी तथा वन मंडलाधिकारी सूरजपुर का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

Scanned with CamScanner

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 105) – आवश्यकता नहीं है चूँकि संबंधित चिन्हांकन केवल खनन परियोजनाओं के लिये किया जाना है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 106 से 119) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर सूरजपुर द्वारा जारी किया गया वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 21.08.2017 तथा अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, अनुविभाग सूरजपुर का कार्यवाही विवरण दिनांक 28.06.2017 एवं संबंधित ग्राम सभाओ का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 120 से 121) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि 0.176 हे. शामिल है। कलेक्टर, सूरजपुर की अनापत्ति दिनांक 21.08.2017 संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 122) – यूजर एजेंसी द्वारा वचन पत्र दिया गया है ।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance **(प्रस्ताव पृष्ठ 123) –** यूजर एजेंसी द्वारा वचन पत्र दिया गया है ।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it **(प्रस्ताव पृष्ठ 124) –** यूजर एजेंसी तथा वन मंडलाधिकारी सूरजपुर का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है कि वनस्पति विकास दर Mostly Stony, Shallow with Gravels and Pebbles loam है ।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 125) – वन भूमि में व्यपवर्तन के पूर्व किसी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं किया जावेगा – ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा दिया गया है ।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 **(प्रस्ताव पृष्ठ 126) –** प्रमाण पत्र लगाया गया है। आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 127) – राशि 6000/– ड्राफ्ट क्रमांक 438246 दिनांक 31.01.2017 एवं प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 18000/– ड्राफ्ट क्रमांक 438245 दिनांक 31.01.2017 कुल 24000 राशि वसूल की जाकर उसे कोषालय में चालान नं. 131 एवं 132 दिनांक 01.11.2017 से जमा कर दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 128) – वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर द्वारा अभिमत दिया गया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाईगर कॉरीडोर अथवा वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता। अतः वन्यप्राणी परियोजना बना ये जाने की आवश्कता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 129) – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 130 से 156) – प्रस्ताव में तीन विकल्पों को दर्शाता हुआ मानचित्र एवं प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा विषयांकित रोपवे निमार्ण की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत प्रथम चरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट
3. प्रपत्र भाग–4
4. टाईम लाईन

प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner